

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
03 / 43 / 2022

तारीख दायर
06 / 05 / 2022

तारीख निर्णय
18.05.2022

बचनवान

1- देवकरण प्रजापत पुत्र लल्लुराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल जमाबन्दी ग्राम अकबरपुर तहसील व जिला अलवर संवत् 2077 में खसरा नम्बर 1600 रकबा 0.7300 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकार्ड में पिता का सही नाम लल्लुराम पुत्र बक्सीराम जाति कुम्हार दर्ज किए जाने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के पिता लल्लुराम पुत्र श्री बक्सीराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी ग्राम अकबरपुर तहसील अलवर जिला अलवर का देहान्त हो चुका है जिनका प्रार्थी स्वयं वारिस है। यह है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में लालुराम पुत्र श्री बक्साराम दर्ज है जो कि गलत है। जमाबन्दी सम्वत 2077, 2020 में भी पिता का नाम गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम लल्लुराम पुत्र श्री बक्सीराम जाति कुम्हार है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम लल्लुराम पुत्र श्री बक्सीराम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2012-13 व 2015 में भी प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज है। प्रार्थी के पिता के नाम लालु पुत्र श्री बक्सा के स्थान पर लल्लुराम पुत्र के श्री बक्सीराम दुरुस्त कराने का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट कर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि हाल खसरा नम्बर 1600 रकबा 0.7300 है0 वाके ग्राम अकबरपुर में प्रार्थी के पिता के नाम लालु पुत्र श्री बक्सा के स्थान पर लल्लुराम पुत्र के श्री बक्सीराम दुरुस्त करने की अभिशंषा की है। प्रार्थी ने मृत्यु प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, नकल एवं जमाबन्दी सम्वत 2012-13 व 2015 सही नाम की प्रति,संलग्न की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार अलवर की अनुशंषा पर मनन किया। प्रार्थना पत्र तहसीलदार अलवर की अनुशंषा एवं संलग्न दस्तावेजात के आधार स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 1600 रकबा 0.7300 है0 वाके ग्राम अकबरपुर में प्रार्थी के पिता के नाम लालु पुत्र श्री बक्सा के स्थान पर लल्लुराम पुत्र के श्री बक्सीराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(श्री प्यारे लाल सोठवाल)
अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर